उत्तराखण्ड शासन
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्या : 843 /उन्तीस (1)/2015–(07 अधि0)/2001
देहरादून : दिनांक : 04 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0 783/उन्तीस(1)/2015–(07 अधि0)/2001, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के सहायक अभियन्ताओं की शाखावार यथा सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की पृथक–पृथक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए मुख्यमहाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को निर्देश दिए गए थे कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची सम्बन्धित कार्मिकों के मध्य परिचालित करते हुए प्रश्नगत सूची में अपनी स्थिति के सम्बन्ध में किसी तथ्य के प्रतिकूल होने के सम्बन्ध में सूची परिचालन की तिथि से 10 दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराएं।

4161
6/7/15

2– उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा निर्गत सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध मुख्यमहाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के माध्यम से एवं सीधे शासन में प्राप्त कुल 13 सहायक अभियन्ताओं की आपत्तियों सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रत्यावेदनों में की गई आपत्तियां एवं उनका निराकरण निम्नवत् किया जाता है :–

सचिव (पे0)
मुख्य महाप्रबन्धक

1. **श्री प्रवीन कुमार सैनी, अभिषेक कुमार वर्मा, संजय सिंह, मुकेश कुमार एवं सुशील कुमार सैनी** के प्रत्यावेदन में की गई आपत्तियां एक समान हैं। इन अभियन्ताओं द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका सं0 65/2012, उमेश चन्द्र नौडियाल एवं अन्य बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 11–4–2014 के आधार पर शासन के पत्रांक–783, दिनांक 23–6–2015 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची को सिविल व विद्युत/यांत्रिक में बांट दिया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। पूर्व में शासन के पत्र सं0 626, दिनांक 04–07–2012 द्वारा निर्गत सिविल/विद्युत/यांत्रिक के पद पृथक–पृथक चिन्हित न होने के कारण ज्येष्ठता सूची संयुक्त रूप से बनाई गई थी। कतिपय सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अलग–अलग ज्येष्ठता सूची निर्गत किए जाने के अनुरोध सम्बन्धी प्रत्यावेदनों में की गई आपत्तियां बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। प्रत्यावेदकों द्वारा इस आधार पर ज्येष्ठता सूची 'सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 5–4–2011 की भांति ही तैयार कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के सीधी भर्ती के पद पृथक–पृथक चिन्हित कर चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया तथा तद्क्रम में ही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक के अधियाचित पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न कर चयनित अभ्यर्थियों की शाखावार संस्तुतियां राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई। उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 24 में ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किये जाने का प्राविधान है। उक्त नियमावली में ऐसे पदों, जिनकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भिन्न भिन्न हो और परीक्षाएं भी भिन्न भिन्न विषयों/प्रश्न–पत्रों के अनुसार आयोजित कर विषयवार प्रवीणता सूची तैयार की गयी हो, में संयुक्त प्रवीणता सूची तैयार किये जाने का प्राविधान नहीं है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.12.2014 में सम्मिलित अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 की पुनरीक्षित संस्तुति एवं वर्ष 2012 की परीक्षा में संस्तुत अभ्यर्थियों की संयुक्त प्रवीणता सूची तैयार करना तर्कसंगत न होने का परामर्श दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राप्त आपत्तियां बलहीन होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं हैं।

2. **श्री आशीष भट्ट** द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण परीक्षा, 2007 से चयनित अभ्यर्थियों हेतु संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी थी, किन्तु वर्तमान में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के विषय अलग–अलग होने के कारण संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत नहीं की जा रही है। साथ ही उक्त परीक्षा के आधार पर लघु सिंचाई विभाग के लिए संस्तुत सहायक अभियन्ता (सिविल), ~~सहायक~~ अभियन्ता (यांत्रिक) एवं सहायक अभियन्ता (कृषि) के अलग ~~अलग~~ कैडर न होने के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त वरिष्ठता निर्धारित की गयी। अतः समान परिस्थिति हेतु दो अलग–अलग विभागों में आयोग द्वारा भिन्न कार्यवाही आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभिन्ता (वि0/यां0) की अलग-अलग वरिष्ठता होने पर विभागीय पदोन्नति का आधार स्पष्ट करने के साथ ही कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी की आगामी अधिक प्राप्तांक के अभ्यर्थी से पहले होने की स्थिति को भी आपत्तिजनक बताया है। शासन के पत्र दिनांक 04.07.2012 द्वारा निर्गत संयुक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कतिपय अभियन्ताओं द्वारा दी गयी आपत्तियों को बलहीन होने के कारण निरस्त किया गया किन्तु वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व में दिये गये तर्क के विरोध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री भट्ट द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उपरोक्त वर्णित श्री प्रवीण कुमार सैनी व अन्य के प्रत्यावेदनों में भी किया

तक लघु सिंचाई विभाग की संयुक्त वरिष्ठता का प्रश्न है, की तुलना उत्तराखण्ड जल संस्थान के अभियन्त्रण संवर्ग से नहीं की जा सकती है। चूंकि दोनों विभागों के कार्मिकों की सेवा शर्तें, कर्त्तव्य एवं दायित्व भिन्न–भिन्न हैं। श्री भट्ट द्वारा विभागीय पदोन्नति का आधार स्पष्ट करने के साथ ही कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी के प्रोन्नति अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी से पहले होने की स्थिति सम्बन्धी आपत्ति/जिज्ञासा ज्येष्ठता से सम्बन्धित विषय नहीं हैं। अतः श्री भट्ट का प्रत्यावेदन भी उपरोक्तानुसार ही श्री प्रवीन कुमार सैनी व अन्य के प्रत्यावेदनों के समान बलहीन होने के कारण उनकी आपत्तियां ग्राह्य योग्य नही हैं।

3. **श्री तरूण शर्मा एवं 32 अन्य अभियन्ताओं** द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 के नियम– 16(4) के प्राविधानों का उल्लेख करने के साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011 की अभियन्त्रण सेवा नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है जिस कारण पदों को शाखावार विद्युत/यांत्रिक/सिविल में विभाजित किया जाए। लोक सेवा आयोग का परामर्श अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 के विरूद्ध है तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.06.2015 से बनायी गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नियमावली, 2011 के प्राविधानों के विरूद्ध होने तथा मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 11.04.2014 को पारित आदेशों का उल्लंघन होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निरस्त कर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से पूर्व में निर्गत की गयी संयुक्त ज्येष्ठता सूची को ही लागू करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यावेदनों में उल्लिखित वर्ष 2011 की नियमावली के नियम–16(4) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की संस्तुति के सम्बन्ध में है न कि ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में। ज्येष्ठता निर्धारण का प्राविधान उक्त नियमावली के नियम–24 में स्पष्ट है जिसमें अलग–अलग शाखाओं यथा सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक की संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। सीधी भर्ती के अभियन्ताओं के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09.12.2014 द्वारा दिया गया परामर्श तर्कों पर आधारित है। अतः प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण आपत्तियां ग्राह्य योग्य नहीं है।

4. **श्री के0सी0 पैन्यूली** द्वारा ज्येष्ठता सूची में से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को हटाए जाने के अतिरिक्त अपना गृह जनपद टिहरी अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने गृह जनपद टिहरी के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जल संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव एवं वर्ष 2013 में कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची में की गई अंकना के अनुसार श्री पैन्यूली का गृह जनपद चमोली अंकित किया गया है। अतः प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण आपत्तियां ग्राह्य योग्य नहीं है।

5. **श्री ओ0पी0 बहुगुणा** द्वारा यह आपत्ति की गई है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 में सिविल/वि0यां0 में अलग-अलग ज्येष्ठता निर्धारण का नियम विद्यमान नहीं है। इसके अतिरिक्त जल संस्थान में सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल सेवा अभियन्त्रण (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1996 के अनुरूप हुई है, में वरिष्ठता का अधिकार मौलिक नियुक्ति को माना गया है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही वाद सं0 65/2012 के क्रम में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 11.4.2014के अनुपालनार्थ शासन द्वारा जो बार-बार अन्तिम ज्येष्ठता सूची निकाली जा रही है से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तथा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

श्री बहुगुणा द्वारा नियमावली, 2011 में ज्येष्ठता सम्बन्धी नियम विद्यमान न होने की आपत्ति का निराकरण उक्त क्रमांक-2 पर अंकित श्री तरूण शर्मा एवं अन्य 32 की आपत्ति के निराकरण के साथ हो जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में की जा रही ज्येष्ठता के निर्धारण के समय उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 प्रभावी है, जिसमें सीधी भर्ती एवं दोन्नति कोटे के लिए वरिष्ठता निर्धारण हेतु पृथक पृथक नियम विद्यमान नहीं हैं। साथ ही उक्त नियमावली, 2011 में सिविल/वि0यां0 की संयुक्त ज्येष्ठता सूची निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। अतः वर्ष 1996 की नियमावली के अनुसार वर्तमान में ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तदनुसार श्री बहुगुणा की प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण आपत्तियां ग्राह्य योग्य नहीं है।

6. **श्री रविप्रकाश डोबवाल, श्री मुकेश कुमार एवं श्री दलीप सिंह बिष्ट** द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी नियुक्ति संगणक के पद पर हुई थी नियुक्ति के समय संगणक एवं कनिष्ठ अभियन्ता की शैक्षिक योग्यता, अर्हता एवं वेतनमान (रू0 1400-2300) समान थे। ज्येष्ठता सूची में उनके द्वारा अपनी प्रथम नियुक्ति के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं से ऊपर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

संगत सेवा नियमावली में अलग-अलग संवर्गों से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत होने की दशा में अपने संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण करने का प्राविधान विद्यमान नहीं है। उक्त अभियन्ताओं द्वारा अपनी आपत्तियों के सम्बन्ध में न तो किसी नियम का उल्लेख किया गया है और न ही प्रमाण स्वरूप कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। अतः प्रत्यावेदनों में कोई बल न होने के कारण आपत्तियां ग्राहंय योग्य नहीं है।

3— अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए ज्येष्ठता सम्बन्धी मामलों को शासित करने तथा उनके निमित्त आधारभूत सिद्धान्त निश्चित करने हेतु श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड **'सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002' एवं 'उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011'** के ज्येष्ठता सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) की अन्तिम ज्येष्ठता संलग्नक के अनुसार प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4— प्रश्नगत सेवाओं के अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण के लिए इस आदेश के प्रस्तर—3 में विनिश्चित किए गए आधारभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची मा0 लोक सेवा अधिकरण में दायर निर्देश याचिका संख्या—65/2012 उमेश चन्द्र नौडियाल एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2014 के अधीन है।

संलग्नक :— यथोक्त।

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. मुख्यमहाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को ज्येष्ठता सूची से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप सं0 845./उन्तीस(1)/2015-(07 अधि0)/2001, दिनांक : 04 जुलाई, 2015 का संलग्नक

क्र0 सं0	पदधारक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक तकनीकी/ योग्यता	सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
उत्तराखण्ड जल संस्थान सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची						
1	श्री जगदीप चौधरी	नैनीताल	18-06-57	डिप्लोमा विद्युत/यांत्रिक	11-03-11	प्रोन्नति
2	श्री प्रियदर्शन सिंह रावत	उत्तरकाशी	08-11-82	बी.ई. (विद्युत/यांत्रिक)	2011	सीधी भर्ती
3	श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	गोरखपुर	01-01-56	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति
4	श्री तरूण शर्मा	सहारनपुर	26-10-84	बी.ई. (विद्युत/यांत्रिक)	15-07-11	सीधी भर्ती
5	श्री जय प्रकाश जयसवाल	गोरखपुर उ.प्र.	10-07-51	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति कोटे से सेवानिवृत्त
6	श्री सुरेश ठाकुर	अल्मोड़ा	31-12-76	बी.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	04-06-13	सीधी भर्ती
7	श्री उमेश चन्द्र नौडियाल	पौड़ी	25-07-56	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति
8	श्री अजय कुमार	रामनगर	14-05-82	बी.ई.(विद्युत/यांत्रिक)	15-07-11	सीधी भर्ती
9	श्री अरविन्द सिंह कैन्तुरा	देहरादून	23-12-56	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति कोटे से मृत्यु
10	श्री आशीष भट्ट	टिहरी	05-03-83	बी.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	05-03-13	सीधी भर्ती
11	श्री शान्ति प्रसाद सेमवाल	टिहरी	15-03-57	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति
12	श्री नन्द किशोर	बागेश्वर	15-09-81	बी.ई.(विद्युत/यांत्रिक)	03-06-11	सीधी भर्ती
13	श्री ओम प्रकाश बहुगुणा	पौड़ी	15-08-57	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति
14	श्री सुशील कुमार सैनी	हरिद्वार	14-12-77	बी.ई.(विद्युत/यांत्रिक)	03-06-11	सीधी भर्ती
15	श्री बी.आर.के. गोयल	सहारनपुर	09-12-54	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	11-03-11	प्रोन्नति कोटे से सेवानिवृत्त
16	श्री प्रवीन कुमार	हरिद्वार	01-03-72	बी.ई.(विद्युत/यांत्रिक)	03-06-11	सीधी भर्ती
17	श्री धर्मपाल सिंह चौहान	देहरादून	15-09-56	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	20-04-11	प्रोन्नति
18	श्री संजय सिंह	रूद्रप्रयाग	30-11-83	बी.ई. (विद्युत/यांत्रिक)	15-07-11	सीधी भर्ती
19	श्री प्रभात कुमार पाण्डे	नैनीताल	01-07-57	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	04-05-11	प्रोन्नति
20	श्री अभिषेक कुमार वर्मा	ऊधमसिंह नगर	30-06-76	बी.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	05-03-13	सीधी भर्ती
21	श्री प्रेम सिंह गड़िया	अल्मोड़ा	12-06-52	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	31-05-11	प्रोन्नति कोटे से सेवानिवृत्त
22	श्री नरेश पाल सिंह	टिहरी	10-08-81	बी.ई. (विद्युत/यांत्रिक)	04-06-13	सीधी भर्ती
23	श्री गणेश दत्त पन्त	अल्मोड़ा	05-01-55	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	31-05-11	प्रोन्नति कोटे से सेवानिवृत्त
24	श्री मुकेश कुमार	हरिद्वार	01-09-72	बी.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	04-06-13	सीधी भर्ती
25	श्री कृष्ण पाल सिंह	एटा	01-01-57	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
26	श्री प्रेम जी श्रीवास्तव	बस्ती	24-01-58	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
27	श्री राम करण वर्मा	फतेहपुर	03-03-60	बी.टैक. (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
28	श्री अजय पाल सिंह	फतेहपुर	12-09-61	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
29	श्री जे.पी. सिंह	कानपुर	02-07-63	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
30	श्री विरेन्द्र सिंह	बाराबंकी	12-08-59	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
31	श्री बी.सी. पाल	कानपुर	01-10-60	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
32	श्री एच.सी. पाल	लखनऊ	10-03-58	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
33	श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	बहराइच	01-03-62	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	09-04-13	प्रोन्नति
34	श्री प्रशांत भारद्वाज	कोटद्वार	01-07-90	बी.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	11-07-13	प्रोन्नति
35	श्री राजेश कुमार निर्वाल	मुजफ्फर नगर	20-09-66	डिप्लोमा (विद्युत/यांत्रिक)	06-06-14	सीधी भर्ती
36	श्री नीरज तिवारी	अल्मोड़ा	12-06-85	बी.टैक/एम.टैक (विद्युत/यांत्रिक)	30-06-14	प्रोन्नति
37	श्री शिव कुमार राय	बलिया	01-07-65	डिप्लोमा (विद्युत/ यांत्रिक) ए.एम.आई.ई.	30-06-14	प्रोन्नति

कार्यालय ज्ञाप सं0 ..../उन्तीस(1)/2015–(07 अधि0)/2001, दिनांक- जुलाई, 2015 का संलग्नक

क0 सं0	पदधारक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक तकनीकी / योग्यता	सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
38	श्री मनोज कुमार गंगवार	हल्द्वानी	14–05–90	बी.टैक (विद्युत / यांत्रिक)	06–06–14	सीधी भर्ती
39	श्री मदन सैन वर्मा	मुज्जफर नगर	03–06–64	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक) / बी.टैक (सिविल)	30–06–14	प्रोन्नति
40	सुश्री निशा गौतम	देहरादून	17–07–88	बी.टैक (विद्युत / यांत्रिक) एम. टैक	06–06–14	सीधी भर्ती
41	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	08–01–65	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
42	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	जौनपुर	01–01–60	डिप्लोमा बी.टैक. (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
43	श्री शिशुपाल सिंह	इटावा	05–07–62	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
44	श्री राकेश कुमार	हरिद्वार	01–07–64	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
45	श्री अरूण कुमार	मुज्जफर नगर	01–08–65	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
46	श्री रमाशंकर	मिर्जापुर	05–03–64	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
47	श्री सत्यवान सिंह रावत	पिथौरागढ़	18–08–70	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
48	श्री बलीराम चौधरी	बस्ती उ.प्र.	16–12–63	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
49	श्री राधेश्याम गुप्ता	चन्दोली उ.प्र.	24–07–62	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक) / बी0टैक0 (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	मृत्यु
50	श्री हरीश कुमार बंसल	देहरादून	10–10–66	डिप्लोमा (विद्युत / यांत्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति
51	श्री राकेश कुमार वर्मा	मुज्जफर नगर	08–06–64	डिप्लोमा एवं डिग्री मैकेनिकल इंजी. ए.एम.आई.ई.	30–06–14	प्रोन्नति
52	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	टिहरी	24–12–59	डिप्लोमा (विद्युत / यान्त्रिक) बी.टैक (विद्युत)	30–06–14	प्रोन्नति
53	श्री दलीप सिंह बिष्ट	नैनीताल	15–03–66	डिप्लोमा (विद्युत यान्त्रिक)	30–06–14	प्रोन्नति

उत्तराखण्ड जल संस्थान सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

1	श्री हुकुम सिंह पुण्डीर	देहरादून	13–08–53	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति सेवानिवृत्त
2	श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय	पिथौरागढ़	01–07–72	बी.ई.(सिविल)	03–06–11	सीधी भर्ती
3	श्री गोविन्द सिंह नेगी	देहरादून	06–03–55	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति सेवानिवृत्त
4	श्री मनीष सेमवाल	टिहरी	18–06–76	बी.ई. (सिविल)	03–06–11	सीधी भर्ती
5	श्री सूरत सिंह कण्डारी	टिहरी	26–10–55	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति
6	श्री सुनील तिवारी	देहरादून	15–07–74	बी.ई. (सिविल)	2011	सीधी भर्ती
7	श्री नरेन्द्र सिंह पयाल	देहरादून	31–05–57	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति
8	श्री विनोद चन्द रमोला	उत्तरकाशी	02–08–79	बी.ई. (सिविल)	2011	सीधी भर्ती
9	श्री मनोहरी लाल बिजल्वाण	टिहरी	10–12–54	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति सेवानिवृत्त
10	श्री विशाल कुमार	ऊधमसिंह नगर	30–05–73	बी.ई. (सिविल)	03–06–11	सीधी भर्ती
11	श्री चैन सिंह भण्डारी	उत्तरकाशी	25–06–53	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति सेवानिवृत्त
12	श्री नमित रमोला	उत्तरकाशी	24–03–81	बी.ई. (सिविल)	03–06–11	सीधी भर्ती
13	श्री प्रमोद कुमार त्यागी	गाजियाबाद	25–09–59	डिप्लोमा (सिविल)	11–03–11	प्रोन्नति
14	श्री बलदेव सिंह	उत्तरकाशी	16–11–77	बी.ई. (सिविल)	03–06–11	सीधी भर्ती

कार्यालय ज्ञाप सं0 ..../उन्तीस(1)/2015-(07 अधि0)/2001, दिनांक :   जुलाई, 2015 का संलग्नक

क0 सं0	पदधारक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक तकनीकी / योग्यता	सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
15	श्री राजेन्द्र कुमार चौहान	देहरादून	30-06-55	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
16	श्री सतीश चन्द्र नौटियाल	टिहरी	10-07-75	बी.टैक (सिविल)	05-03-13	सीधी भर्ती
17	श्री द्वारिका प्रसाद पोखरियाल	टिहरी	12-01-56	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
18	श्री सतेन्द्र कुमार गुप्ता	देहरादून	12-04-76	बी.ई. (सिविल)	03-06-11	सीधी भर्ती
19	श्री अब्बल सिंह पंवार	उत्तरकाशी	03-03-59	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
20	श्री राजीव सैनी	हरिद्वार	30-05-68	बी.ई. (सिविल)	03-06-11	सीधी भर्ती
21	श्री नरेश कुमार कौशिक	सहारनपुर	02-01-55	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति सेवानिवृत्त
22	श्री लक्ष्मी चन्द्र रमोला	टिहरी	20-07-78	बी.टैक (सिविल)	05-03-13	सीधी भर्ती
23	श्री देवेन्द्र दत्त जोशी	टिहरी	18-02-56	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
24	श्री नरेन्द्र सिंह पंवार	चमोली	03-09-84	बी.टैक (सिविल)	2011	सीधी भर्ती
25	श्री अशोक कुमार	पौड़ी	16-06-72	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
26	श्री यशवीर मल्ल	देहरादून	11-03-68	बी.ई. (सिविल)	03 06 11	सीधी भर्ती
27	श्री मनोज कुमार टम्टा	अल्मोड़ा	25-03-62	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
28	श्री बिलाल यूनुस	ऊधमसिंह नगर	25-09-82	बी.ई. (सिविल)	03-06-11	सीधी भर्ती
29	श्री राजेन्द्र पाल	टिहरी	22-10-75	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
30	श्री रविशंकर लोशाली	हल्द्वानी	03-08-84	बी.टैक. (सिविल)	05-03-13	सीधी भर्ती
31	श्री अवधेश कुमार	देहरादून	17-07-64	डिप्लोमा (सिविल)	11-03-11	प्रोन्नति
32	श्री प्रदीप सिंह कुवर	चमोली	06-07-76	बी.ई. (सिविल)	04-07-13	सीधी भर्ती
33	श्रीमती मोनिका वर्मा	देहरादून	01-07-81	बी.ई. (सिविल)	2011	सीधी भर्ती
34	श्री कैलाश चन्द्र पैन्यूली	चमोली	01-07-63	डिप्लोमा (सिविल)	09-04-13	प्रोन्नति
35	श्री राजेन्द्र प्रसाद ममगांई	उत्तरकाशी	01-07-61	डिप्लोमा (सिविल)	09-04-13	प्रोन्नति
36	श्री कैलाश सिंह खाती	अल्मोड़ा	30-06-62	डिप्लोमा (सिविल) बी.टैक. (विद्युत)	09-04-13	प्रोन्नति
37	श्री विनोद पाण्डे	रूद्रप्रयाग	28-02-67	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
38	श्री अमित कुमार	नालंदा (बिहार)	21-01-87	बी.टैक (सिविल)	06-06-14	सीधी भर्ती
39	श्री लोकेन्द्र सिंह कुमांई	उत्तरकाशी	12-07-63	डिप्लोमा(सिविल)/ बी.टैक(सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
40	श्री विपिन कुमार	हरिद्वार	03-05-90	बी.टैक सिविल	06-06-14	सीधी भर्ती
41	श्री भूपेन्द्र सिंह	चमोली	17-02-66	डिप्लोमा / बी.टैक (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
42	श्री अनीश म. पिल्लई	कोटा (राजस्थान)	20-03-86	बी.ई. (सिविल)	06 06 14	सीधी भर्ती
43	श्री सुभाष चन्द्र जुयाल	पौड़ी	02-01-68	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
44	श्री संदीप चतुर्वेदी	कैन्टी (मध्य प्रदेश)	03 11 90	बी.ई. (सिविल)	06-06-14	सीधी भर्ती
45	श्री सुनील बिष्ट	हरिद्वार	21-11-65	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
46	श्री विनेश कुमार	देहरादून	10-03-79	बी.टैक. (सिविल)	12 02 15	सीधी भर्ती
47	श्री. आनन्द मोहन कंसल	देहरादून	26-01-64	डिप्लोमा(सिविल)/ ग्रेजुऐट डिप्लोमा इनकन्सट्रक्शन मैनेजमेन्ट	30-06-14	प्रोन्नति

कार्यालय ज्ञाप सं0 ..../उन्तीस(1)/2015-(07 अधि0)/2001, दिनांक : जुलाई, 2015 का संलग्नक

क0 सं0	पदधारक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक तकनीकी/ योग्यता	सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
48	श्री रमेश गर्ब्याल	पिथौरागढ़	02-01-87	बी.टैक(सिविल) एम.टैक	06-06-14	सीधी भर्ती
49	श्री अरूण विक्रम सिंह	पौड़ी	29-08-69	डिप्लोमा/ बी.ई (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
50	श्री विनीत रावत	पौड़ी	20-01-67	बी.ई. (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
51	श्री श्याम सिंह	अल्मोड़ा	15-02-63	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
52	श्री बंशीधर	चम्पावत	27-02-67	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
53	श्री त्रेपन सिंह रावत	देहरादून	10-01-78	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
54	श्री चन्दन सिंह देवड़ी	अल्मोड़ा	02-06-68	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
55	श्री रवि प्रकाश	नैनीताल	25-08-68	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति
56	श्री मुकेश कुमार	बुलन्दशहर	01-07-66	डिप्लोमा (सिविल)	30-06-14	प्रोन्नति

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन'
बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

पत्रांकः 2191 / कार्मिक / 01 / अन्तिम ज्ये0सू0(अभि0) / 57 / 2015–16 तद्दिनांक 20/07/15

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–843 / उन्तीस(1) / 2015–(07अधि0) / 2001 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 04 जुलाई 2015 की प्रति प्रेषित की जा रही है।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (मु0) देहरादून / टी0आर0एम0 देहरादून / नैनीताल / पौडी / पिथौरागढ।
2. सचिव प्रशासन / अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ....।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून / नैनीताल।
6. लेखाधिकारी (अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. लेखाकार प्रथम (अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
8. श्री मनोज भटट वैयक्तिक सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची को एन0आई0सी0 की वेबसाइट में प्रकाशित करें।
9. सम्बन्धित को नाम से द्वारा सम्बन्धित शाखाधिकारी।
10. आदेश पंजिका / गार्ड फाइल।

मुख्य महाप्रबन्धक